

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 30.12.2011


क. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदस्थापित स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान
1	DR RAJENDRA KUMAR SHARMA	JS SUR	CHC	DADABARI	KOTA	DADABARI, KOTA
2	DR GAJENDRA SINGH TATED	JS MED	CHC	DADABARI	KOTA	DADABARI, KOTA
3	DR RENU SHARMA	MO	CHC	ITAWA	KOTA	CHC ITAWA, KOTA
4	DR MANMOHAN SHARMA	SMO	MBHOSP	KOTA	KOTA	RCHO, KOTA
5	DR HEMANT KUMAR GUPTA	MO	MBHOSP	KOTA	KOTA	DH BUNDI
6	DR KRISHAN G SINGHAL	JS SUR	MSU ZONE	KOTA	KOTA	DH SIROHI
7	DR SHANTI CHAND JAIN	SMO	MSU ZONE	KOTA	KOTA	CHC BHAWANI MANDI, JHALAWAR
8	DR RAM SWAROOP GUPTA	SS PAED	MBHOSP	KOTA	KOTA	GH NATHDWARA, RAJSAMAND
9	DR RAHUL KABRA	RMO	CHC	RAMGANJMANDI	KOTA	CHC KAITHUN, KOTA
10	DR BAL MUKUND	MO	CHC	RAMGANJMANDI	KOTA	CHC SUNEL, JHALAWAR
11	DR ANJANA RAJADA	JS SUR	D.HOSP	RAMPURA	KOTA	DH BUNDI
12	DR MURARI LAL VAISHYA	JS PAED	D.HOSP	RAMPURA	KOTA	BALOTRA, BARMER
13	DR BHAL CHANDRA TAILANG	JS MED	D.HOSP	RAMPURA	KOTA	CHC DEVGARH, RAJSAMAND
14	DR KAUSHAL KUMAR GOYAL	UTB	CHC	SANGOD	KOTA	CHC SANGOD, KOTA
15	DR MAMTA MEENA	MO	CHC	SANGOD	KOTA	CD SURAJPOLE, KOTA

विषय:- कारण बताओं नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आप अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.12.2011 तक कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं इस विभाग को प्रेषित करावें, किन्तु आपने दिनांक 29.12.2011 तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।


अतः निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.01.2012 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

भवदीय


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
 2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओं नोटिस आज ही तामील कराकर इस विभाग को अवगत करावें।
- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेव साईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।


शासन उप सचिव